

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Services (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी भाग-12

भू-अभिलेख पोर्टल

राजस्व अभिलेख की स्कैन कॉपी देखने तथा डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी लेना हुआ आसान

①

<https://bhuabhilekh.bihar.gov.in/> को खोलें तथा “Public Login” पर क्लिक करें।



②

अगर आप registered User है तो अपने मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user हैं तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें)।



③

लॉगिन के उपरांत आपको अभिलेख खोजने का विकल्प दिखाई देगा। अब आप अन्य दस्तावेज को चुनें तथा दस्तावेज से संबन्धित अन्य विवरण (जो लागू हो) यथा जिला, अंचल, मौजा, वाद संख्या, साल, खाता, खेसरा, पार्टी नाम इत्यादि को भर कर Search बटन पर क्लिक करें। सम्बन्धित अभिलेख की सूची आपको दिखाई देगी।



④

प्रत्येक अभिलेख के सामने देखने के लिए “View” को क्लिक करें, तथा डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए “Apply for Download Copy” को क्लिक करें।



⑤

“Apply for Download Copy” पर क्लिक करने पर आपको कौन-कौन पृष्ठ की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति लेनी है उसको भरें। आपको भुगतनेय राशि दिखाई देगी, अब आप Send Application पर क्लिक करें। परदर्शित सभी सूचना से संतुष्ट होने पर Make Payment पर क्लिक करें तथा राशि का भुगतान करें।



⑥

भुगतान के बाद आपको एक प्राप्ति रशीद प्राप्त होगी जिसे आप भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित कर ले। आवेदन की स्थिति देखने के लिए प्रोफाइल icon के अंतर्गत Track Application पर क्लिक करें तथा संबन्धित आवेदन की स्थिति देखें।

भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध मुख्य दस्तावेज:

- कैडस्ट्रल खतियान
- राजस्व मानचित्र
- भू-अर्जन अभिलेख

- रिविजनल खतियान
- दाखिल-खारिज पंजी
- सीलिंग पंजी

- जमाबंदी पंजी प्रति
- बंदोबस्ती अभिलेख
- लगान निर्धारण अभिलेख

- दाखिल-खारिज वाद अभिलेख
- चकबंदी अभिलेख
- मापी वाद अभिलेख